राज्य द्वारा एडीपीओ। आरोपी भीकमसिंह अनुपस्थित।

आरोपी भीकमसिंह को जारी गिरफतारी वारण्ट अदम तामील वापिस प्राप्त। वारण्ट के साथ तस्दीक पंचनामा भी संलग्न है।

तामील कुनिन्दा प्र0आरक्षक मोहरसिंह उपस्थित है। आज दिनांक को तामील कुरिंदा प्र0आरक्षक मोहरसिंह के कथन अंकित किए गए। मोहरसिंह द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह आरोपी की तलाश हेतु दिए गए पते पर गया था परन्तु आरोपी उसे नहीं मिला था। आरोपी के निकट भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है। अतः आरोपी को फरार घोषित किया जावे।

यह उल्लेख्नीय है कि प्रकरण में आरोपी काफी समय से फरार चल रहा है। आरोपी के निकट भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है। आरोपी की कोई चल अचल संपत्ति नहीं है। अतः प्रकरण में आरोपी को फरार घोषित किया जाता है। आरोपी के विरुद्ध स्थायी गिरफतारी वारण्ट जारी किया जावे।

अभियोजन से पूछे जाने पर अभियोजन ने द.प्र. स. की धारा 299 के अंतर्गत किसी भी साक्षी का कथन न कराना व्यक्त किया है।

प्रकरण में आरोपी फरार है अतः प्रकरण का अभिलेख एवं जप्तशुदा संपत्ति सुरक्षित रखी जावे। उक्त संबंध में प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से टीप अंकित की जावे।

प्रकरण का परिणाम देर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

> ि सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी, गोहद